न्यायालय उपखण्ड अधिकारी (राजस्व) श्रीगंगानगर

कैम्प कोर्ट 4 एमएल ते0श्रीगंगानगर

पीठासीन अधिकारी का नामः–श्री कैलाशचन्द्र आर .ए.एस

न 0 माल स0 108 सन 2004 (57 सन 16)

साहबराम पुत्र सुखराम जाति नाई निवासी 5 ई छोटी तहसील व जिला गंगानगर

बनाम

1–रुकमादेवी धर्मपत्नी स्वर्गीय श्री सुखराम जाति नाई निवासी चक 5 ई छोटी तहसील व जिला श्रीगंगानगर

2–चावलीदेवी पत्नी स्वर्गीय श्री सुखराम(विधिवत विवाह नहीं)जाति नाई जाति नाई निवासी चक 5 ई छोटी तहसील व जिला श्रीगंगानगर

3–दयाराम पुत्र सुखराम जाति नाई निवासी चक 5 ई छोटी तहसील व जिला श्रीगंगानगर

4–ओमप्रकाश पुत्र सुखराम जाति नाई निवासी चक 5 ई छोटी तहसील व जिला श्रीगंगानगर

5–रामेश्वरलाल पुत्र सुखराम जाति नाई निवासी चक 5 ई छोटी तहसील व जिला श्रीगंगानगर

6–रामप्रताप पुत्र सुखराम जाति नाई निवासी चक 5 ई छोटी तहसील व जिला श्रीगंगानगर

7–स्टेट आफ राजस्थान जरिऐ तहसीलदार (राजस्व)श्रीगंगानगर

दावा अन्तर्गत धारा 53–88,188 राजस्था0काश्तकारी अधिनियम
उपस्थितिः– 1–श्री मनोहरलाल एडवोकेट– वादी
2–श्री पी0पी0मक्कड एडवोकेट– प्रतिवादी

:–निर्णय :– दिनांकः–25–05–2016

इस वादपत्र के सक्षेंप में तथ्य इस प्रकार हैं कि सुखराम वादी के पिता थे, को देहान्त 29–7–2003 को हो गया। सुखराम ने प्रतिवादिया संख्या 1 के नुत्फे से वादी पैदा हुआ। प्रतिवादी न01 वादी की सग्गी माता हे। प्रतिवादीया न01 के नुत्फे से अन्य कोई औलाद पैदा नहीं हुई। सुखराम का सग्गा भाई हरदान था

उपखण्ड अधिकारी
श्री गंगानगर

— cont (2)

जो कि सुखराम से बडा था। प्रतिवादिया संख्या 2 हरदान की विवाहिता औरत हैं।हरदान का देहान्त हो गचा। बिना विधिवत विवह के सुखराम ने प्रतिवादिया संख्या 2 को अपने धर बैठा लिया। प्रतिवादिया 2 व सुख्याराम के नुत्फे से प्रतिवादी संख्या 3 ता 6 पैदा हुऐ। प्रतिवादीगण संख्या 3 ता 6 का प्रत्येक का 1/6हिस्सा बनता है। चावली को किसी प्रकार से श्री सुखराम की भूमि में कोई हक अथवा स्वत्व प्राप्त नहीं होता है। विवादित आराजी 2.453 हैक्टयर नहरी में वादी को 1/6हिस्सा,प्रतिवादी स01 का 1/6हिस्सा एंव प्रतिवादी संख्या 3 ता 6 प्रत्येक का 1/6 हिस्सा दर्ज किया जावे। चावली का नाम राजस्व रिकार्ड से विलोपित किया जावें। अच्छी से अंच्छी एंव बुरी से बुरी भूमि का मौका पर कब्जा में अधिष्टित करवाया जावे एंव लगान अलग अलग निर्धारित किया जाकर जमाबन्दी अलग अलग बनाई जावे। वादपत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को जरिऐ सम्मन तलब किया गया। प्रतिवादी स0 1,की ओर से पी पी मक्कड एडवोकेट एंव 3ता6 की ओर से सुरेन्द्र भनोत एडवोकेट उपस्थित आये। प्रतिवादी स02 की मृत्यु के कारण 26–4–2011 को उसके पुत्र रिकार्ड पर होने से उनका नाम डिलीट कर दिया गया।

दिनांक 19–5–2016 को दोनों पक्षों की ओर से राजीनामा प्रस्तुत हुआ। वादी की शनाखत श्री मनोहरलाल सहारण एंव प्रतिवादीगण की शनाखत श्री सुरेन्द्रसिह भनोत ने की। राजीनामा बाद तस्दीक शामिल फाईल किया गया। राजीनामा के अनुसार उक्त विवादास्पद भूमि को वादी व प्रतिवादीगण ने आपस में बांटकर सहमति से वाद डिक्री किये जाने का निवेदन किया है। राजीनामा में कि0न03की 0.227 व 8 की 0.253 हैक्टयर भूमि का बेचान कर कब्जा खरीददार को सभ्भलाया हुआ हैं जिसकी रजिस्ट्री वादी व प्रतिवादीगण संख्या 3 ता 6 करवाने के लिऐ विधि अनुसार पाबन्द है एंव शेष भूमि का पक्षकारों ने आपस मं परस्पर सहमति से निम्नानुसार बंटवारा कर लिया हैं।

1–वादी साहबराम के हिस्सा में कु0न027 के कि0न04 की 0.091,3में 0.101,14 में 0.101,17 में 0.101 कुल 0.394 हैक्टयर भूमि प्राप्त हुई ओर यह जमीन कि0न03,8,13,18 से चिपती होगी तथा पूर्व में बेचान की गई कि0न03 व 8 में 0. 096 हैक्टयर को सम्मिलित करते हुऐ साहबराम अपने नाम करवाने का अधिकारी हैं।

2–प्रतिवादीगण संख्या 3 ता 6 सर्व श्री रामप्रताप,दयाराम,औमप्रकाश व रामेश्वरलाल पुत्रगण सुखराम के हिस्सा में मु0न027 के कि0न04 की 0.137,5में 0.227,6 में 0.253,7 में 0.152,14 में 0.152,15 में 0.253,16 में 0.253,17 में 0.152, कुल 1.579 हैक्टयर भूमि हिस्सा में आई है। जिसे वे बेचान की गई कि0न03 व 8 की 0.384 हेक्टयर को सम्मिलित करते हुऐ राजस्व अभिलेख में अपने नाम से दर्ज करवाने के अधिकारी होगें।

— cont (3)

उपखण्ड अधिकारी
श्री गंगानगर

वाद सं० 57/16

दोनों पक्षों को राजस्व लोक अदालत न्याय आपके द्वार में केम्प में सुना गया। दोनों पक्ष राजी हें ओर दोनों पक्षों ने राजीनामा के आधार पर वाद डिक्री किये जाने का निवेदन किया है। श्रीमति रुकमादेवी व चावलीदेवी के द्वारा अपने हिस्सा की कृषि भूमि का त्याग जरिऐ दस्तबरदारी वादी व प्रतिवादीगण संख्या 3 ता 6 के नाम कर दिया है ओर चावली देवी का देहान्त हो गया तथा उनके विधिक उतराधिकारीगण वादी व प्रतिवादीगण संख्या 3 ता 6 हैं। अतः दोनों पक्षों की सहमति से वाद डिक्री किया जाता हैं। राजीनामा सहमति व निर्णय का भाग माना जावें। उपरोक्त भूमि को निम्नांकित प्रकार से विभाजित कर डिक्री पारित की जाती हैं।

1–वादी साहबराम के हिस्सा में :–चक 5 ई छोटी के मु0न027 के कि0न04 की 0.091,8में 0.101,14 में 0.101,17 में 0.101 कुल 0.394 हैक्टयर भूमि प्राप्त हुई ओर यह जमीन कि0न03,8,13,18 से चिपती होगी

2–प्रतिवादीगण संख्या 3 ता 6 सर्व श्री रामप्रताप,दयाराम,औमप्रकाश व रामेश्वरलाल पुत्रगण सुखराम के हिस्सा में :–चक 5 ई छोटी के मु0न027 के कि0न04 की 0.137,5में 0.227,6 में 0.253,7 में 0.152,14 में 0.152,15 में 0. 253,16 में 0.253,17 में 0.152, कुल 1.579 हैक्टयर भूमि हिस्सा में आई है।

नियमानुसार स्टाम्पस प्रस्तुत किये जाने पर पर्चा डिक्री जारी की जावें।

आदेश सुनाया गया।

(कैलाशचन्द्र शर्मा)

उपखण्डाधिकारी(राजस्व)

श्रीगंगानगर

उपखण्ड अधिकारी
श्री गंगानगर